न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 71/2022
ऑनलाईन नंबर 2022/139

निर्णय दिनांक 12.11.2022

1. रामेश्वर उर्फ श्रवणराम पुत्र गोमन्दराम उर्फ गोविन्दराम जाति मेघवाल निवासी बिग्गाबास रामसरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. प्रताराम पुत्र गोमन्दराम उर्फ गोविन्दराम जाति मेघवाल निवासी बिग्गाबास रामसरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
3. शान्ति पुत्री गोमन्दराम उर्फ गोविन्दराम जाति मेघवाल निवासी बिग्गाबास रामसरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

–वादीगण–

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर) –प्रतिवादी–

उपस्थितिः–

1. श्री नारायण पंवार अभिभाषक वादी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए एवं 136 भू–राजस्व अधिनियम।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ग्राम बिग्गाबास रामसरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ के स्थायी निवासी हैं और एक ही परिवार के सदस्य है। वादीगण के पिता स्वर्गीय गोमंदराम पुत्र पूराराम की संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1170 तादादी 16 बीघा 11 बिस्वां जिसके नये खसरा नम्बर 1187 तादादी 4.1900 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 1168 तादादी 17 बीघा 17 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 1186 तादादी 4.51 हैक्टेयर रोही ग्राम बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ व खेत खसरा नम्बर 1099 तादादी 19 बीघा 9 बिस्वा जिसके नये खसरा नम्बर 333 तादादी 4.92 हैक्टेयर रोही ग्राम बिग्गाबास रामसरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित थे। स्वर्गीय गोमंदराम पुत्र पुराराम की वंश वंशावली निम्न प्रकार हैं :–

गोमंदराम उर्फ गोविन्दराम

जेठीदेवी (पत्नी फौत)	रामेश्वर उर्फ श्रवणराम (पुत्र)	प्रताराम (पुत्र)	शान्ति (पुत्री)

वादीगण के पिता गोमंदराम की मृत्युपरान्त वादगत खेतों में स्थित गोमंदराम के हिस्सा का विरास्तन इंतकाल स्वर्गीय गोमंदराम के सभी वारिसानों के नाम दर्ज नहीं कर अकेले वादी संख्या 1 के घर में बोलते नाम रामेश्वर के अनुसार दर्ज कर दिया गया। जबकि सभी वादीगण का वादगत खेतों में गोमंदराम के जायज वारिसान होने से बहिस्सा बराबर बराबर हिस्सा कानूनन बनता है। वादगत खेत के विरास्तन इंतकाल में भी वादी संख्या 1 का घर में बोलता नाम रामेश्वर दर्ज कर दिया गया जबकि वादी संख्या 1 के सभी सरकारी एवं अर्द्धसरकारी दस्तावेजों में शुद्ध नाम श्रवणराम अंकित हैं जो सही है। वादी को श्रवणराम व रामेश्वर दोनों ही नामों से जाना, पहचाना व पुकारा जाता है। वादगत खेत [illegible] खातेदारी के [illegible] आ रहा है। वादगत खेत हैं जिसमें वादीगण का बहिस्सा बराबर बरा[illegible] कर दिया गया हैं खेतों के राजस्व रिकॉर्ड में अकेले वादी संख्या [illegible] घोषणा करवाकर जिसे वादीगण दावा के माध्यम से वादगत खेतों [illegible] दर्ज करवाना चाहते हैं राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करवाकर बहिस्सा बराबर बराबर [illegible] वादगत खेतों के राजस्व जिसके की वादीगण कानूनन अधिकारी है। वादीगण [illegible] रिकॉर्ड में बहिस्सा बराबर खातेदारी दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करने हेतु प्रतिवादी से निवेदन किया तो प्रतिवादी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर की कार्यवाही मानते हुए सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.11.15 16:37:27 IST
Reason: SelfAttested

दर्ज करने व राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त करने से इन्कार कर दिया। प्रतिवादी द्वारा किये गए इन्कार के कारण वादीगण को प्रतिवादी के विरूद्ध वाद हेतु प्राप्त है एवं वादगत खेत वादीगण के पैतृक खातेदारी खेत होने से वादाधार प्राप्त है। प्रतिवादी के विरूद्ध दावा प्रस्तुत करने से पूर्व धारा 80 सीपीसी का दो माह का नोटिस जाना आवश्यक है परन्तु वादीगण का दावा अर्जेन्ट नेचर का हैं इसलिए वादीगण धारा 80(2) सीपीसी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दो माह के कानूनी नोटिस से छूट प्राप्त कर दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। वादीगण ग्राम बिग्गाबास रामसरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ के निवासीगण हैं एवं वादगत खेत तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। इसलिए दावा न्यायालय श्रीमान जी के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है।

अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादीगण का दावा स्वीकार फरमाया जाकर निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

(क) वादगत खेत खसरा नम्बर 1187 तादादी 4.1900 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 1186 तादादी 4.51 हैक्टेयर रोही ग्राम बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ व खेत खसरा नम्बर 333 तादादी 4.92 हैक्टेयर रोही ग्राम बिग्गाबास रामसरा के राजस्व रिकॉर्ड में वादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा को गोमंदराम उर्फ गोविन्दराम के सभी वारिसानों रामेश्वर उर्फ श्रवणराम, प्रताराम, शान्ति पुत्र/पुत्रियां गोमंदराम के पक्ष में बहिस्सा बराबर बराबर खातेदारी घोषित की जाकर तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जावें।

(ख) वादगत खेतों के राजस्व रिकॉर्ड में वादी संख्या 1 का शुद्ध नाम रामेश्वर उर्फ श्रवणराम घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में शुद्ध नाम रामेश्वर उर्फ श्रवणराम पुत्र गोमंदराम उर्फ गोविन्दराम दर्ज किये जाने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जावें।

(ग) कि अन्य कोई अनुतोष जो हितकर वादी हो या दौराने दावा हितकर वादी हो जावें वह भी आज्ञाप्त फरमावें।

वादीगण के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से पैरोकाराज ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में स्टेट को वादीगण वाद स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व वादीगण वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 1187 तादादी 4.1900 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 1186 तादादी 4.51 हैक्टेयर रोही ग्राम बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ व खेत खसरा नम्बर 333 तादादी 4.92 हैक्टेयर रोही ग्राम बिग्गाबास रामसरा के राजस्व रिकॉर्ड में वादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा को गोमंदराम उर्फ गोविन्दराम के सभी वारिसानों रामेश्वर उर्फ श्रवणराम, प्रताराम, शान्ति पुत्र/पुत्रियां गोमंदराम के पक्ष में बहिस्सा बराबर बराबर खातेदारी घोषित की जाती है। वादगत खेतों के राजस्व रिकॉर्ड में वादी संख्या 1 का शुद्ध नाम रामेश्वर उर्फ श्रवणराम घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में शुद्ध नाम रामेश्वर उर्फ श्रवणराम पुत्र गोमंदराम उर्फ गोविन्दराम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें। अन्तिम डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 12.11.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में मेरे द्वारा [illegible] निर्णय दायरा रजिस्टर लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली [illegible] में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.11.15 16:37:27 IST
Reason: SelfAttested

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

अन्तिम डिकी मुकदमें इन्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री डूँगरगढ

पीठासीन अधिकारी दिव्या आरएएस

(राष्ट्रीय लोक अदालत)

1. रामेश्वर उर्फ श्रवणराम पुत्र गोमन्दराम उर्फ गोविन्दराम जाति मेघवाल निवासी बिग्गाबास रामसरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. प्रताराम पुत्र गोमन्दराम उर्फ गोविन्दराम जाति मेघवाल निवासी बिग्गाबास रामसरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
3. शान्ति पुत्री गोमन्दराम उर्फ गोविन्दराम जाति मेघवाल निवासी बिग्गाबास रामसरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

मुकदमा नम्बर 71/2022

दावा बाबत घोषणा एवं रिकार्ड दुरूस्ती

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलास कतई रूबरू अदालत बहाजरी श्री सुखदेव व्यास अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी की ओर से पैरोकारराज मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि खेत खसरा नम्बर 1187 तादादी 4.1900 हैक्टेयर, खेत खसरा नम्बर 1186 तादादी 4.51 हैक्टेयर रोही ग्राम बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ व खेत खसरा नम्बर 333 तादादी 4.92 हैक्टेयर रोही ग्राम बिग्गाबास रामसरा के राजस्व रिकॉर्ड में वादी संख्या 1 के नाम दर्ज हिस्सा को गोमंदराम उर्फ गोविन्दराम के सभी वारिसानों रामेश्वर उर्फ श्रवणराम, प्रताराम, शान्ति पुत्र/पुत्रियां गोमंदराम के पक्ष में बहिस्सा बराबर बराबर खातेदारी घोषित की जाती है। वादगत खेतों के राजस्व रिकॉर्ड में वादी संख्या 1 का शुद्ध नाम रामेश्वर उर्फ श्रवणराम घोषित किया जाकर तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में शुद्ध नाम रामेश्वर उर्फ श्रवणराम पुत्र गोमंदराम उर्फ गोविन्दराम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। **तहसीलदार, श्री डूँगरगढ तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करें।**

लीज....0......मुबलिग......0........बाबत......0.........खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह...0..फीसदी सालाना आज को जारी..........तारीख वसूलयाबी.......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज दिनांक 12 माह 11 सन् 2022 को जारी किया गया ।

(दिव्या)

उपखण्ड अधिकारी

श्री डूँगरगढ

उपखण्ड अधिकारी

श्रीडूंगरगढ़(बीकानेर)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1.वाद पत्र के लिए स्टाम्प	100	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	2. अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3..प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	0	3. प्लीडर की फीस	0
4.........रूपये पर प्लीडर की फीस	0	4. साक्षियों के लिए निर्वाह भत्ता	0
5.साक्षियों के लिए निर्वाह–भत्ता	0	5. आदेशिका की तामिल	
6.कमिश्नर की फीस	0	6. कमिश्नर की फीस	0
7.आदेशिका की तामिल	0		0
योग	[illegible]	योग	0

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.11.15 16:37:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,

श्री डूँगरगढ

उपखण्ड अधिकारी

श्रीडूंगरगढ़(बीकानेर)